

02/03/22

बहुलाय लीकेन उपरिष्णत/ वास यम
प्रवर्गि अधिवक्ता के डा यम आधर
पर withdraw खासि किना जो युम
हैं। अतः इन प्रकृष्ट में करि अधिवक्ता
अपेक्षित नहीं हैं। लिखित डा यम प्रवर्गि
इसी स्तर पर खासि किना जाता है तथा
न्यायालय द्वारा जारी अधिवक्ता किपेक्षा किने
14/12/2020 को निरस्त किना जाता है। फरवरी
मैजली में शुभ्रण टंकल हाखिल



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर